

वृक्ष अधिकारी एवं
वन उप-संरक्षक
संध प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
वन विभाग, मोटी दमण.

सं.वन उप-संरक्षक/दमण/03/2016-17/01

दिनांक : 18/05/2016.

विषय :- वृक्ष काटने हेतु अनुमति

वृक्ष काटने हेतु **Shri Jivanbhai Budhiya, Mota Falia, Varkund, Nani Daman.** निवासी के वृक्ष काटने संबन्धी आवेदनपत्र दिनांक : 08/04/2016 के संदभ में निम्नलिखित शर्तों एवं निबन्धनों के पालक करने के साथ सर्वे सं 83/2-A की जमीन पर (निचे वर्णित विवरण के अनुसार) वृक्ष काटने की अनुमति के बारे में सूचित किया जाता है ।

वृक्ष / वृक्षों का विवरण

क्रम सं	प्रकार / नाम	कुल वृक्ष सं
1	Mango Trees	01 Nos.
	Total.	01 Nos.

वृक्ष अधिकारी एवं
वन उप - संरक्षक
दमण ।

सेवा में,
Shri Jivanbhai Budhiya,
Mota Falia,
Varkund,
Nani Daman.

o/c

नियम एवं शर्तें

1. श्रेत्रीय वन अधिकारी द्वारा वृक्ष को चिह्नित करेंगे ।
2. आवेदक अपनी जिम्मेदारी में वृक्ष कटवायेंगे । संबन्धित भूमि पर अथवा व्यक्तियों के दावे संबन्धी मामले के बिना यह अनुमति दी जाती है।
3. यह आदेश प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर वृक्ष काटने का कार्य पूरा कर लिया जायेगा ।
4. काटे गये वृक्ष से प्राप्त उपादान श्रेत्रीय वन अधिकारी से ट्रैजिट पास लेकर स्थल से हटाना होगा ।
5. वृक्ष काटे गये जमीन पर चालु / अगले वृक्षारोपण मौसम अर्थात् जुन 2015 से सिप्टेम्बेर, 2015 के दौरान निम्नलिखित विवरण के अनुसार वृक्ष आरोपण करेंगे / करेंगी।

वृक्ष का प्रकार

किसी फलदार वृक्ष / छायादार वृक्ष

कुल वृक्ष
2 संख्यक

6. आवेदक रुपये **200/-** की राशि जमा करेंगे / करेंगी एवं वृक्ष चिह्नित करने के लिए श्रेत्रीय वन अधिकारी के कार्यालय में रसीद प्रस्तुत करेंगे / करेंगी ।
7. उपर क्रम सं - 4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार परमिट धारक वृक्षारोपण करने में असफल रहने पर वृक्ष अधिकारी स्वयं वृक्ष लगाने की व्यवस्था करेंगे एवं वृक्ष के मालिक से समायोजन के आधार पर लागत वसूल करेंगे ।
8. तटीय क्षेत्र विनियम का उल्लंघन करते हुए पक्षकार किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे, इस शर्त पर अनुमति दी जाती है।

प्रतिलिपी :-

1. मुख्य वन संरक्षक, दमण - दीव एवं दादरा नगर हवेली को सादर सूचनाथें ।
2. वन संरक्षक, दमण -दीव एवं दादरा नगर हवेली को सादर सूचनाथें ।
3. श्रेत्रीय वन अधिकारी, दमण ।
4. सबधित बिट गाडें, फॉरेस्ट गाडें/ सिपाई ।

(Signature)

